



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,
GANDHINAGAR
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 30/2017/जी.एस.टी.

Trade Notice No. 30/2017/ GST

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The below listed Notifications/Circulars issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications/Circulars are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र/ आदेश की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
1	47/2017-Central Tax	18.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.)
2	48/2017-Central Tax	18.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.)
3	49/2017-Central Tax	18.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.)
4	50/2017-Central Tax	24.10.2017	349/74/2017-GST(Pt.)
5	39/2017-Central Tax (Rate)	18.10.2017	354/117/2017- TRU (Pt.III)
6	40/2017-Central Tax (Rate)	23.10.2017	354/117/2017-TRU (Pt. III)
7.	40/2017- Integrated Tax (Rate)	18.10.2017	354/117/2017- TRU (Pt.III)
8.	41/2017- Integrated Tax (Rate)	23.10.2017	354/117/2017-TRU (Pt. III)
9.	Circular-9/9/2017- GST	18.10.2017	349/75/2017-GST
10.	Circular-10/10/2017- GST	18.10.2017	20/16/03/2017-GST
11.	Circular-11/11/2017- GST	20.10.2017	354/263/2017-TRU
12.	Order- 01/2017- Union Territory Tax	13.10.2017	354/173/2017-TRU

अधिसूचना/परिपत्र स्वतः स्पष्ट है।

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें ।

All JDC/JAC of CGST & C.Ex., Gandhinagar are directed to bring this to the notice of all officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को निदेश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दें।